



प्रेस विज्ञप्ति

29/05/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत दीपक सिंगला को 18.05.2026 को गिरफ्तार किया है और राउज एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड लिया गया है और विशेष पीएमएलए कोर्ट, पंचकुला से 6 दिन की रिमांड ली गई है। इसके बाद दीपक सिंगला को 26.05.2026 को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

सीबीआई, बीएसएफबी, नई दिल्ली द्वारा मेसर्स महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। मामला अनधिकृत स्विफ्ट संशोधनों द्वारा विदेशी साख पत्रों (एफएलसी) के धोखाधड़ी से संवर्धन से संबंधित है, जिसमें फिनाकल में संबंधित प्रविष्टियों के बिना ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और कंसोर्टियम बैंकों को लगभग 155.21 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ है।

ईडी की जांच में पता चला कि मेसर्स महेश टिम्बर प्रा. लि. ने भारत और सिंगापुर में संबद्ध संस्थाओं और व्यक्तियों के साथ साजिश रचकर, बिना किसी वास्तविक लकड़ी के आयात के, हेरफेर किए गए एफएलसी के माध्यम से लगभग 195.02 करोड़ रुपये की धनराशि को धोखाधड़ी से स्थानांतरित किया। सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सत्यापन से पता चला कि बैंकों को प्रस्तुत किए गए प्रविष्टि बिलों और लदान बिलों की पर्याप्त संख्या जाली और मनगढ़ंत थी।

जांच में आगे पता चला कि मेसर्स अमेज़ॉन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स महेश टिम्बर सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ट्रेफिक मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स बीवीएम शिपिंग पीटीई लिमिटेड और मेसर्स पर्ल मैरीटाइम पीटीई लिमिटेड जैसी शिपिंग फर्मों, मेसर्स ट्रेफिक मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का उपयोग सिंगापुर से भारत में लकड़ी के नकली आयात का मृगतृष्णा पैदा करने के लिए फर्मों के गठजोड़ के रूप में किया गया था ताकि ओबीसी बैंक में हेरफेर करके ऐसे नकली आयात के खिलाफ सिंगापुर को एफएलसी के बड़े हुए मूल्य को धोखाधड़ी से खोला और स्थानांतरित किया जा सके जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

जांच के दौरान दीपक सिंगला की भूमिका प्रमुखता से सामने आई है। वह अशोक कुमार मित्तल और रमन सिंघल से निकटता से जुड़ा हुआ है और उसने संबंधित अवधि के दौरान मेसर्स महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स महेश रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ट्रेफिक मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय पदों पर कार्य किया था। जांच में वास्तविक आयात के अभाव के बावजूद आयातित लकड़ी की कथित बिक्री और खरीद से संबंधित फर्जी लेनदेन का पता चला है।

आगे की जांच से हरीश सिंगला की संलिप्तता का भी पता चला है, जो मेसर्स महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड को गारंटी और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं से जुड़े थे और जो अशोक कुमार मित्तल द्वारा नियंत्रित कंपनियों में प्रमुख प्रबंधकीय भूमिकाएँ निभाते थे।

तदनुसार, 18.05.2026 को दिल्ली और गोवा में दीपक सिंगला, आयुष तिवारी, अमरीक सिंह गिल और अन्य लोगों से जुड़े परिसरों में पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान चलाया गया।

तलाशी के दौरान 27.75 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी और 6000 सिंगापुर डॉलर के साथ-साथ आरोपी फर्मों के खाते, आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पीएमएलए की प्रासंगिक धाराओं के तहत जब्त किए गए।